

जनपद - संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 22.02.2023

आज दिनांक 22.02.2023 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर श्री अखिल कुमार पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती श्री आर०के० भारद्वाज के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर श्री सत्यजीत गुप्ता के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य—

नाबालिग से दुष्कर्म व मारपीट के मामले मे वाँछित अभियुक्तगण गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सत्यजीत गुप्ता द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद श्री अंशुमान मिश्र के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा मु०अ०स० 171/2023 धारा 376D/365 IPC 3(2)V, 3(2)(Va) एससी / एसटी एक्ट व 5/6 पाक्सो एक्ट मे वाँछित अभियुक्तगण नाम पता 1- अनिल कुमार पुत्र श्याम सुन्दर 2- मोनू पुत्र अब्दुल हई निवासीगण औरंगाबाद पोस्ट अतरौरा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को सरैया बाईपास के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1-अनिल कुमार पुत्र श्याम सुन्दर निवासी औरंगाबाद पोस्ट अतरौरा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर ।

2- मोनू पुत्र अब्दुल हई निवासी औरंगाबाद पोस्ट अतरौरा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर ।

घटना के संबंध मे पंजीकृत अभियोग:-

मु०अ०स० 171/2023 धारा 376D/365 IPC 3(2)V, 3(2)(Va) एससी / एसटी एक्ट व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर ।

विवरण:- उक्त अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 21.02.2023 को वादी की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गयी थी जिस संबन्ध में वादी (पीड़िता के पिता) द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था, महिला संबन्धी अपराध को गंभीरता से लेते हुए थाना को० खलीलाबाद पुलिस द्वारा उक्त वाँछित अभियुक्तगणों को आज दिनांक 22.02.2023 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ०नि० श्री सुरेश यादव, उ०नि० श्री राधेश्याम प्रसाद, म०का० विमला यादव, म०का० कुमकुम मिश्रा ।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना धनघटा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3315 द्वारा मारपीट / विवाद में घायल 02 लोगों को पहुंचाया गया अस्पताल— पीआरवी 3315 को थाना मेंहदावल क्षेत्रांतर्गत धौरापार से इवेन्ट संख्या 06653 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट / विवाद होने से 02 लोगों 1- राजेन्द्र पुत्र सुबरन 2- सुमन पत्नी परमेश्वर निवासी धौरापार थाना मेंहदावल जनपद सन्तकबीरनगर के घायल होने के संबंध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुंचकर विवाद / मारपीट को शान्त कराकर घायलों को अस्पताल पहुँचाया गया तथा दुर्घटना के सम्बन्ध में थाना मेंहदावल को अवगत कराया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर मारपीट में घायल लोगों को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।

पीआरवी स्टाफ –आ० धीरेन्द्र कुमार, हो०चा० धुपनाथ मौर्य ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 52 वाहनो से 48000 रु० सम्मन शुल्क वसूल किया गया
आज दिनांक 22.02.2023 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 52 वाहनो से 48000 रु० सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।